

तीर्थयात्रियों के प्रबंधन हेतु केंद्र की सहायता

चर्चा में क्यों?

उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य में बढ़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों के प्रबंधन के लिये [नीतिआयोग](#) के माध्यम से केंद्र से सहायता की मांग करने का निर्णय लिया।

प्रमुख बिंदु

- [तीर्थयात्रा](#) पर्यटन के लिये प्रसिद्ध [उत्तराखण्ड](#) राज्य अपनी [अस्थायी जनसंख्या](#) (मूलतः पर्यटक और तीर्थयात्री) में प्रतविरष आठ गुना वृद्धि के कारण बड़ी समस्या का सामना कर रहा है
- उत्तराखण्ड सरकार ने केंद्र सरकार से [केंद्रीय बजट](#) में [राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष \(SDRF\)](#) के मानदंडों में [वनाग्नि](#) और [हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन की क्षति](#) से होने वाले नुकसान के लिये मुआवज़े को शामिल करने का अनुरोध किया था
 - देश के 147 सबसे अधिक [भूखलन](#) सुभेदय ज़िलों में से एक होने के बावजूद राज्य को [ग्रीन बोनस](#) अथवा [अस्थायी जनसंख्या](#) के प्रबंधन के लिये कोई सहायता प्रदान नहीं की गई
 - राज्य को रुद्रप्रयाग और टहिरी जैसे ज़िलों में [हमिनद अथवा भूखलन अनुसंधान केंद्रों](#) की स्थापना जैसी सुविधाएँ प्रदान किये जाने की उम्मीद थी कति बजट में इन [मुद्दों](#) को [संबोधित नहीं किया गया](#)।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF)

- SDRF का गठन [आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005](#) की धारा 48 (1)(a) के तहत किया गया है।
- इसका गठन [13वें वित्त आयोग](#) की सिफारिशों के आधार पर किया गया था।
- यह [राज्य सरकार के पास उपलब्ध प्राथमिक नधि](#) होती है, जिसका उपयोग प्रायः अधिसूचित आपदाओं हेतु तत्काल राहत प्रदान करने के लिये किया जाता है।
- प्रतविरष [भारत के नयितरक महालेखा परीक्षक \(CAG\)](#) द्वारा इसका अंकेक्षण किया जाता है।